



पं. पंचायंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262807

क्र. 4460/अका./सम्ब. वृद्धि/2008

रायपुर, दिनांक : 18/12/2008

॥ आदेश ॥

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/11/2008 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न महाविद्यालय को उसके सामने दर्शाये कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए वार्षिक सम्बद्धता वृद्धि प्रदान की जाती है :-

क्र.	शिक्षा-सत्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
01	2008-09	श्रीवा कालेज, मिर्जापुर मिर्जापुर (छ.ग.)	B.Sc. भाषा एवं आयुर्वेद, रसायन, वनस्पति आयुर्वेदनामजी, माइक्रो आयुर्वेद, एन.डी.ए.ए. - 25, 25 द्वितीय गुण B.Ed. - 25, 100



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फॅक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2052/अका./सम्बद्धता/2008

रायपुर, दिनांक : 28/08/2008

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23 अगस्त 2008 में लिये गये निर्णयानुसार शिवा कॉलेज मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई जिला-दुर्ग को निम्न दर्शित कक्षा/विषयों, छात्र संख्या, सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है (विद्या परिषद् की स्थायी समिति की कार्यवृत्त माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित है) :-

क्रमांक	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	एम.एड.	25	2008-09

शर्तें :-

1. एन.सी.टी.ई. के दिशा निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्रवेश देंगे।
2. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. महाविद्यालय का संचालन बिना लाम-हानि के आधार पर किया जावे।
4. विश्वविद्यालय परिनियम-27(3)(जे) के प्राधानानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों से ली जाने वाली शिक्षण शुल्क का अनुमोदन विश्वविद्यालय से करावें।
5. प्राधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लेवें।
6. अध्यादेश-7(7) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रवेश के अंतिम दिवस के 7 दिवस के भीतर, प्रवेशित छात्रों के नामों की सूची विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें।
8. इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 30,000/- कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करें।

आदेशानुसार,

कक्ष अधिकारी (अका.)

R.M.

पृ क्रमांक : 2053/अका./सम्बद्धता/2008

रायपुर, दिनांक : 28/08/2008

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
 3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
 4. संचालक शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.)
 5. उप कुलसचिव- परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/वि.क.अ. गोपनीय/वित्ताधिकारी/विकास
 6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित।

कक्ष अधिकारी (अका.)

R.M.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्र. 6549/अका./संब.वृद्धि/2009

रायपुर, दिनांक : 19/06/2009


॥ आदेश ॥

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17/18.06.2009 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्न महाविद्यालय को उसके सामने दर्शाये कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए वार्षिक संबद्धता वृद्धि सर्शत प्रदान की जाती है। स्थायी समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर अंतिम निर्णय कार्यपरिषद् की बैठक में किया जायेगा।

क्र.	शिक्षा-सत्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
01.	2009-10	शिवा कॉलेज, भिलाई, जिला-दुर्ग	B.Sc., B.Ed. (Seat 100), M.Ed.

- शर्त :- (1) महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम हेतु परिनियम-28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति 03 माह के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत कराएँ।
(2) शिक्षक एवं कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए, जिसके बैंक की सत्यापित प्रति से विश्वविद्यालय को अवगत कराएँ।

आदेशानुसार



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

रायपुर, दिनांक : 19/06/2009

पृ. क्र. 6550/अका./संब.वृद्धि/2009

प्रतिलिपि :-

01. राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.)।
02. प्राध्यापक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
03. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)।
04. प्रो.क.अ. परीक्षा/गोपनीय/नामांकन/विकास/वित्त विभाग,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 7605 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2012


रायपुर, दिनांक 25 / 06 / 2012

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.07.2011 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.07.2011 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ सत्र 2011-12 के लिए विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	शिवा महाविद्यालय, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई	Non Permanent Affiliation B.Ed. (100 Seat) B.Sc. F.C., Chem. Botony Zoology, Mcro, Bio. (25-25) M.Ed.-(35) B.B.A. -I- (40)


आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 7606 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 25 / 06 / 2012

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. ✓ प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


कक्ष अधिकारी (अका.)



प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभा. 0771-2262602 (अकादमिक) 0771-2262540 (कुलसचिव), फॉक्स-0771-2262816, 2262607



क्रमांक 11956/अका./सम्ब.वृद्धि/2013

रायपुर, दिनांक : 12/9/2013

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2013 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2013 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2013-14 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	शिवा कालेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) shivacollege@rediffmail.com collegeshiva@yahoo.com Phone No.- 0788-2295350 Mobile No.- 9229475290	Non-Permanent Affiliation B.Ed. (100 Seat) B.Sc. F.C., Chem. Botany Zoology, Micro, Bio. (25-25) M.Ed.-(35) B.B.A. -I- (40)

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 11957/अका./सम्ब.वृद्धि/2013
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 12/9/2013

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
 2. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय को,
 3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
 4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 6417 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2015

रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2015-16 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) collegeshiva@yahoo.com. atulkumarshrivastava@yahoo.in, Phone No.- 0788-2295350 Mobile No.- 9229475290	Non-Permanent Affiliation. B.Ed. (100 Seat) B.Sc. F.C., Chem. Botony Zoology, Micro, Bio. (25-25) B.B.A. -I- (40) M.Ed.-(35)

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 6418 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2015

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रैषित।

कक्ष अधिकारी (अका.)



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 181 / अका. / संबद्धता वृद्धि-54 / 2016

दुर्ग, दिनांक : 18/10/16

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (52) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 18/10/2016 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) Email Id - collegeshiva@yahoo.com Ph. No.- 0788-2295350	2016-17	Non Permanent Affiliation B.Ed. M.Ed.	100 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृदढ़ करें।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगागी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय (छ.ग.)

पृ.क्र. 182 / अका. / 2016

दुर्ग, दिनांक 18/10/16

प्रतिलिपी:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- प्राचार्य, शिवा कॉलेज, मैत्री विहार नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

क्र. 1212/अका./वार्षिक संबद्धता/073/2017

दुर्ग, दिनांक : 19/09/17

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 19.09.2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) Email Id - collegeshiva@yahoo.com Ph. No.- 0788-2295350	2017-18	Non Permanent Affiliation B.Ed. M.Ed.	100 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को 15 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे। उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 1213 /अका./वार्षिक संबद्धता/073/2017

दुर्ग, दिनांक : 19/09/17

प्रतिलिपी:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
- माननीय कुलपति महोदय के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 2053/अका./वार्षिक संबद्धता/94/2019

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Non Permanent Affiliation	
		B.Ed	100
		M.Ed	50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

2054
पृ. क्र. /अका./वार्षिक संबद्धता/94/2019
प्रतिलिपि:

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in

दूरभाष: 0788-2359400

क्र. 3289/अका./वार्षिक संबद्धता/06/2021

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय कानाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शिवा कॉलेज मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Non Permanent Affiliation B.Ed. M.Ed.	100 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
- महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

पृ.क्र. 8290/अका./वार्षिक संबद्धता/06/2021

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा.कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)

Raipur Naka, Durg (C.G.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

No. 5642/Academic/Annual Affiliation/NG-39/2022

Durg, Dated - 17/11/2022

ORDER


As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted **Annual Affiliation** for the year 2022-23 as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statute 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/ Non-Permanent)
Shiva College, Maitri Vihar, Radhika Nagar, Supela, Bhilai, Distt- Durg(C.G)	B.Ed.	100	Non-Permanent Affiliation
	M.Ed.	50	Non-Permanent Affiliation

Instructions-

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfil the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.


Registrar
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg

Durg, Dated - 17/11/2022

No. 5643/Academic/Annual Affiliation/NG-39/2022
Copy to -

1. Commissioner Higher Education Dept. Block C, Second & Third Floor, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur.
2. PA to Hon'ble VC/Registrar for information.
3. Exam Section, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)


Assistant Registrar (Acad.)

Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg